

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:- प.1(1)न्याय/2021

जयपुर, दिनांक ०८.०७.२०२१

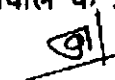
अधिसूचना

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, आनन्दपुरी	बांसवाडा	आनन्दपुरी
2.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उच्चैन	भरतपुर	उच्चैन
3.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौथ का बरवाडा	सवाईमाधोपुर	चौथ का बरवाडा

नोट- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,


8-7-2021
(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

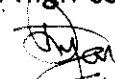
RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/09/21/1424

Date: 14/7/2021

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. The Concerned District & Sessions Judges.
3. The Concerned Chief Judicial Magistrates.
4. The Concerned Courts.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building, Rajasthan High Court, Jodhpur
6. A.O.J. Computer Cell (for uploading the same on high court website), Rajasthan High Court, Jodhpur.


14/7/21
REGISTRAR (RULES)